दिनांक– 11.02.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे से विभागीय सभागार में निदेशक, पशुपालन, बिहार, पटना की अध्यक्षता में सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन / सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ पशुपालन एवं पशु कल्याण विषयों एवं अन्य विभागीय योजनाओं से संबंधित मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः– संलग्न सूची के अनुसार।

सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गईः–

(1) **पशुपालन एवं पशु कल्याणः–**

पशुओं के अच्छे स्वास्थ्य हेतु पशुपालकों के द्वारा पशुओं की विशेष देखभाल की आवश्यकता है। पशुपालन एवं पशु कल्याण जागरूकता के अन्तर्गत प्रभारी पदाधिकारी द्वारा निम्नांकित विषयों पर प्रस्तुतीकरण दिया गयाः–

Animal Health:–

पशुओं के आहार प्रबंधन, सर्दी गर्मी के मौसम में पशुओं की देखभाल एवं विभिन्न प्रकार के जीवाणु एवं विषाणु से होने वाली बीमारियों जैसे– खुरहा एवं मुँहपका, ब्रुसेलोसिस, एच0एस0–बी0क्यू, पी0पी0आर0 एवं लम्पी त्वचा रोग आदि के उपचार एवं रोकथाम पर विस्तार में चर्चा की गयी।

जैव सुरक्षाः–

सभी उपस्थित पदाधिकारियों को जैव सुरक्षा के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर चर्चा की गयीः–

1. पशुपालन में जैव सुरक्षा का महत्व
2. जैव सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु महत्वपूर्ण अवयव यथा–
    - भौतिक अवरोध (दीवाल / जाली)
    - साफ सफाई
    - स्व सुरक्षा उपकरण (PPE) का उपयोग
    - टीकाकरण एवं बीमारियों की जाँच
3. जैव सुरक्षा के मुख्य नियम यथा–

    i. Exclusion

    ii. Eradication

    iii. Hygiene

    iv. Surveillence
4. कुक्कुट फार्म की स्थापना के क्रम में बिहार प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा जारी की गयी नये मार्गदर्शिका से भी अवगत कराया गया।

Modern Practices in Animal Husbadry:–

आधुनिक पशुपालन में पशुओं के चयनात्मक प्रजनन, उनके आहार, आश्रय और रोगों से बचाव के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, इन तरीकों से पशुओं की उत्पादकता बढ़ती है और किसानों को ज्यादा फायदा होता है। तदालोक में निम्न बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की गयीः–

- पशुओं का नस्ल सुधार
- स्वच्छ आश्रय
- स्वच्छ और संतुलित आहार
- रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण
- कृत्रिम गर्भाधान (AI)
- पशुओं के आनुवंशिक गुणों और व्यवहारों को विकसित करना
- पशुओं का उचित देखभाल

आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों के उपयोग से पशुपालन के फायदे यथा–

- मांस, अंडे और दूध जैसे उत्पादों का उत्पादन बढ़ना
- पशुओं की संतानों की जीवित रहने की दर में वृद्धि
- बेहतर विकास
- बेहतर उत्पादन
- बेहतर प्रजनन
- अधिक लाभ

(2) <u>21 वीं पशुगणनाः–</u>

जानकारी दी गयी कि 21वीं पशुगणना के कार्य में अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है। अभी तक मात्र 40 प्रतिशत (लगभग) हाउसहोल्ड में गणना का कार्य हुआ है। जिलावार अनुमानित हाउसहोल्ड के सापेक्ष वर्त्तमान पशुगणना में अब तक गणना किये गये हाउसहोल्ड की संख्या में प्रतिशत उपलब्धि की समीक्षा की गयी, जो निम्नवत् है :–

जिला का नाम	अनुमानित हाउसहोल्ड की संख्या	दि०–10.02.25 तक गणना किये गये हाउसहोल्ड की संख्या	पशुगणना कार्य का प्रतिशत	श्रेणी
नवादा	435289	276069	63.42	1
मुंगेर	316082	190509	60.27	2
भागलपुर	678381	394361	58.13	3
पूर्वी चंपारण	1164236	625797	53.73	4
सुपौल	521329	267089	51.23	5
औरंगाबाद	492655	243709	49.47	6
जहानाबाद	222794	109230	49.03	7

दरभंगा	975140	474788	48.69	8
बक्सर	310424	144574	46.57	9
गोपालगंज	473066	218502	46.19	10
सिवान	626450	268893	42.92	11
मुजफ्फरपुर	1156148	495140	42.83	12
खगड़िया	372957	157872	42.33	13
सारण	740871	309655	41.80	14
सहरसा	434980	180521	41.50	15
कटिहार	729660	302131	41.41	16
लखीसराय	196007	80880	41.26	17
मधुबनी	1083731	446493	41.20	18
पुर्णिया	805199	321618	39.94	19
गया	829324	330389	39.84	20
नालंदा	580853	231180	39.80	21
जमुई	368080	146347	39.76	22
बांका	418661	162172	38.74	23
कैमुर	275972	102996	37.32	24
समस्तीपुर	1009203	369311	36.59	25
रोहतास	506380	184033	36.34	26
भोजपुर	528596	189688	35.89	27
पश्चिम चंपारण	851623	292010	34.29	28
मधेपुरा	463544	154339	33.30	29
सीतामंढी	878208	287503	32.74	30
पटना	1195489	387164	32.39	31
शिवहर	186759	59978	32.12	32
अरवल	133264	42745	32.08	33
शेखपुरा	150468	46668	31.02	34
किशनगंज	389948	119451	30.63	35
वैशाली	756784	228629	30.21	36
बेगुसराय	701491	198554	28.30	37
अररिया	684012	171026	25.00	38
बिहार	22644058	9212014	40.68	

उपर्युक्त की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि नवादा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्वी चंपारण एवं सुपौल जिलों को छोड़कर शेष जिलों का प्रगति धीमा है। जिला–अररिया के द्वारा अबतक मात्र 25 प्रतिशत हाउसहोल्ड की गणना की गयी है। कार्य प्रगति के अनुसार अररिया जिला 38वें स्थान पर है। जबकि 63.42 प्रतिशत हाउसहोल्ड की गणना के साथ नवादा जिला प्रथम स्थान पर है। 40 प्रतिशत से भी कम कार्य प्रगति के अनुसार अंतिम 20 जिलें निम्नवत् है :–

38वाँ स्थान – अररिया
37 वाँ स्थान – बेगुसराय
36 वाँ स्थान – वैशाली
35 वाँ स्थान – किशनगंज
34 वाँ स्थान – शेखपुरा
33 वाँ स्थान – अरवल
32 वाँ स्थान – शिवहर
31 वाँ स्थान – पटना
30 वाँ स्थान – सीतामढ़ी
29 वाँ स्थान – मधेपुरा
28 वाँ स्थान – पश्चिम चंपारण
27 वाँ स्थान – भोजपुर
26 वाँ स्थान – रोहतास
25 वाँ स्थान – समस्तीपुर
24 वाँ स्थान – कैमुर
23 वाँ स्थान – बांका
22 वाँ स्थान – जमुई
21 वाँ स्थान – नांलदा
20 वाँ स्थान – गया
19 वाँ स्थान – पुर्णियाँ

उक्त के आलोक में जिला पशुपालन पदाधिकारियों को 21वीं पशुगणना हेतु निम्नांकित निदेश दिये गये :–

- 21वीं पशुगणना पूर्ण करने की अंतिम तिथि दिनांक–28.02.2025 तक पशुगणना कार्य पूर्ण किये जाने हेतु सभी संभव आवश्यक कार्रवाई किया जाय।
- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों के द्वारा पशुगणना कार्य का सूक्ष्म नियमित निरीक्षण किया जाय।
- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी पशुगणना कार्य के प्रगति का साप्ताहिक समीक्षा करना सुनिश्चित करेंगे एवं समीक्षा प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

- किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या आने पर भारत सरकार द्वारा जारी टॉल फ्री नम्बर–1800–11–5060 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
- पशुगणना कार्य में प्रगणकों के तकनीकी समस्या के त्वरित निराकरण एवं उनके द्वारा अपलोड किये जा रहे आँकड़ों की सतत् निगरानी हेतु सभी पर्यवेक्षकों को निदेशित किया जाये।
- पशुगणना कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की कठिनाई/समस्या से अवगत कराने हेतु पशुगणना कोषांग, बिहार के दूरभाष संख्या–0612–2215911 एवं ई–मेल livestockcensusahdbihar@gmail.com पर सम्पर्क किया जा सकता है।

(3) **एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण :–**

एकीकृत न्यादर्श सर्वेक्षण (जाड़ा ऋतु) के जिलावार समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कई जिलों यथा–अररिया, औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, कटिहार, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, शेखपुरा, सीतामढ़ी एवं सिवान के द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य शुरू नहीं किया गया है। वर्त्तमान ऋतु की सर्वेक्षण अवधि 1 नवम्बर, 2024 से 28 फरवरी, 2025 तक निर्धारित है।

सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति को लेकर असंतोष व्यक्त किया गया एवं सर्वेक्षण कार्य ससमय पूर्ण किये जाने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही सर्वेक्षण के क्रम में विभिन्न पशु उत्पादों के उत्पादन का भी आँकड़ा अंकित किये जाने का निदेश दिया गया।

(4) **पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कार्य की समीक्षाः–**

समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि जिला पशुपालन पदाधिकारी, खगड़िया, अरवल, मुंगेर, शेखपुरा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, सहरसा, बांका एवं शिवहर द्वारा माह जनवरी–2025 में बहुत ही कम संख्या में पैथोलॉजिकल लैब द्वारा जाँच कराया गया है, जिसके लिए खेद व्यक्त किया गया। साथ ही कम प्रगति वाले जिलों को कार्य में प्रगति लाने एवं पैथोलॉजिकल लैब में जाँच में तीव्रता लाने का निदेश दिया गया।

(5) **एम्बुलेट्री भान द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा :–**

एम्बुलेट्री भान द्वारा आयोजित शिविरों की संख्या के आधार पर पटना, शेखपुरा, जमुई, मुंगेर, सिवान, गोपालगंज, शिवहर, वैशाली एवं भोजपुर जिलो के द्वारा लक्ष्य के अनुरूप कम शिविर का आयोजन किया गया है।

इस संबंध में लक्ष्य के अनुरूप शिविर आयोजन करने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया। साथ ही जिलों को प्रतिमाह शिविर आयोजित करने एवं लक्ष्य को प्राप्त करते हुए कार्य में प्रगति लाने हेतु सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को भी आवश्यक अनुश्रवण हेतु निदेशित किया गया।

(6) **AI संबंधी कार्य की समीक्षाः–**

I. NAIP-IV अंतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान का समेकित प्रतिवेदन बी0एल0डी0ए0, पटना को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने के लिए जिला पशुपालन पदाधिकारी **नालंदा, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, भभुआ, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, भागलपुर, बाँका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया, पूर्णियाँ, किशनगंज, सुपौल, मधेपुरा, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज** को निदेशित किया गया।

II. ABIP-SS अंतर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान का मासिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 3 (तीन) तारीख तक बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने तथा Sex Sorted Semen से किए गए कृत्रिम गर्भाधान के कार्यों को भारत पशुधन पोर्टल पर **Update** कराना सुनिश्चित करने हेतु सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

III. ABIP-SS **योजनां**तर्गत किए गए कृत्रिम गर्भाधान कार्यों को तथा LH& DCP **से संबंधित डाटा का** भारत पशुधन पोर्टल पर 28.02.2025 तक Upload कराना सुनिश्चित कराने हेतु सभी पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

(7) **पशु बांझपन निवारण शिविरः–**

पशु बाँझपन निवारण शिविर वित्तीय वर्ष 2022–23 के आयोजित किए गए शिविरों का समेकित प्रतिवेदन नालंदा, रोहतास, भागलपुर, शेखपुरा, खगड़िया, पूर्णियाँ, किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, बेतिया, शिवहर, छपरा, सिवान, गोपालगंज से अप्राप्त है तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शिवहर से अप्राप्त है। उक्त प्रतिवेदनों को अतिशीघ्र बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।

पशु बाँझपन निवारण शिविर वित्तीय वर्ष 2023–24 में आयोजित किए गए शिविरों का पशु बाँझपन निवारण शिविरों की अद्यतन समेकित प्रतिवेदन, भ्रमण/निरीक्षण प्रतिवेदन एंव प्रत्येक शिविर की फोटोग्राफी (कम से कम 5 Soft Copy में) की प्रति तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र (वाउचर की प्रति सहीत) संबंधी प्रतिवेदनों को अतिशीघ्र बी0एल0डी0ए0, पटना को उपलब्ध कराने हेतु संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया।

(8) **92 प्रस्तावित पशु चिकित्सालयों/RIDF/RKVY हेतु भूमि की उपलब्धता**

मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत विभिन्न बैठकों में सभी जिलों को 92 प्रस्तावित पशु चिकित्सालयों/RIDF/RKVY हेतु भूमि की उपलब्धता एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। परन्तु निम्नांकित जिलों के द्वारा भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया हैः–

92 प्रस्तावित पशु चिकित्सालय हेतु भूमि अनुपलब्धता की सूची निम्नवत् हैः–

भक्र0सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	पशु चिकित्सालय का नाम/सलि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	गया	कोंच	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, आंती	
2	सहरसा	कहरा	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, अमरपुर	
3	पटना	फतुहा	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, दौलतपुर	

RIDF के तहत पशु चिकित्सालय हेतु भूमि अनुपलब्धता की सूची निम्नवत् हैः–

क्र0	जिला का नाम	प्रखंड	पशु चिकित्सालय का नाम/स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	मुंगेर	बरियारपुर	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, बहियार	
2	मुंगेर	धरहरा	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, हेमजापुर	
3	मुंगेर	हवेली खडगपुर	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, खंड बिहारी	

RKVY के तहत पशु चिकित्सालय हेतु भूमि अनुपलब्धता की सूची निम्नवत् हैः–

भक्र0सं0	जिला का नाम	प्रखण्ड	पशु चिकित्सालय का नाम/स्थल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	किशनगंज	बहादुरगंज	प्रथमवर्गीय पशु चिकित्सालय, लौचा	

उपर्युक्त संबंधित सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि 92 प्रस्तावित पशु चिकित्सालयों/RIDF/RKVY के तहत पशु चिकित्सालय के भवन निर्माण हेतु जिला पदाधिकारी से आवश्यक समन्वय स्थापित कर भूमि उपलब्धता प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

(9) <u>किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की समीक्षाः–</u>

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि दिनांक– 15.09.2024 से 31.03.2025 तक की अवधि के लिए साप्ताहिक "जिला स्तरीय के0सी0सी0 शिविर" अभियान अन्तर्गत जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका, जमुई, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णियाँ, सुपौल एवं वैशाली द्वारा अबतक किसी भी सप्ताह का प्रतिवेदन उपलब्ध नही कराया गया है। साथ ही पशुपालन निदेशालय स्तर से बार–बार जिला के निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदन प्राप्त करने हेतु निदेशित किये जाने के बावजूद जिलें में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप बहुत कम संख्या में प्रत्येक सप्ताह किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आवेदनों को सप्ताहिक शिविर में अग्रणी बैंक प्रबंधक/बैंकों के प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसके कारण पशुपालन प्रक्षेत्र अंतर्गत लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है। साथ हीं कतिपय जिलों द्वारा साप्ताहिक प्रतिवेदन भी ससमय निदेशालय को उपलब्ध नही कराया जा रहा है।

सभी जिलों को निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आवेदनों को सृजित करने एवं अग्रणी बैंक प्रबंधक से संपर्क स्थापित कर प्रत्येक सप्ताह के0सी0सी0 शिविर का आयोजन करते हुये दिनांक– 12.03.2025 तक शत प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निदेशित किया गया।

साथ ही प्रत्येक सप्ताह के0सी0सी0 शिविर का आयोजन करने तथा प्रत्येक सप्ताह सोमवार तक प्रतिवेदन पशुपालन निदेशालय को ई–मेल– goatahd@gmail.com पर अचूक रूप से उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

(10) <u>समेकित मुर्गी विकास योजना –</u>

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारियों को पूर्व एवं वर्तमान वित्तीय वर्षों में चयनित लेयर फार्म/ब्रायलर फार्म संस्थापकों द्वारा किये जा रहे फार्म निर्माण कार्यों की नियमित अनुश्रवण करने का निदेश दिया गया। साथ ही चयनित लाभार्थी जो अभी तक कार्य शूरू नही किये है, उन्हें पत्र देकर अविलंब कार्य शुरू करने का निदेश देने हेतु निदेशित किया गया। साथ ही बार–बार निदेश देने के बावजूद कार्य शुरू नही करने वाले लाभार्थी का चयन रद्द हेतु अनुशंसा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(11) <u>समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना –</u>

- वित्तीय वर्ष– 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2023–24 में समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजनान्तर्गत 10 बकरी + 01 बकरा, 20 बकरी + 01 बकरा एवं 40 बकरी + 02 बकरा क्षमता में कार्य में अभिरूचि नहीं लेने वाले आवेदकों का चयन रद्द करने की कार्रवाई क्षेत्रीय निदेशक के स्तर से की जानी है। साथ ही पशुपालन निदेशालय के पत्रांक– 122 (नि0), दिनांक– 12.01.2021 के आलोक में वित्तीय वर्ष– 2018–19 एवं 2019–20 में 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता के बकरी फार्म में कार्य में अभिरूची नही लेने वाले आवेदकों का चयन रद्द जिलों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय निदेशक से अनुशंसा प्राप्त करने के उपरान्त जिला स्तर से चयन रद्द करने संबंधी पत्र निर्गत किया जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजना के तहत 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता में कार्य में अभिरूचि नही लेने वाले आवेदकों के चयन रद्द करने की कार्रवाई निदेशालय स्तर से की जानी है। अतः उक्त के आलोक में अनिच्छुक/कार्य नही करने हेतु जिला में आवेदको की अनुशंसित सूची संबंधित क्षेत्रीय निदेशक के माध्यम से निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।
- साथ ही वित्तीय वर्ष– 2018–19, 2019–20, 2020–21 एवं 2023–24 में पूर्व में स्वीकृति पत्र रद्द किये गये आवेदकों एवं रद्द किये जाने वाले आवेदकों (रद्द करने के उपरान्त) की सूची अविलंब पशुपालन निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

- वित्तीय वर्ष– 2024–25 में सात निश्चय– 2/राज्य योजना के तहत समेकित बकरी एवं भेंड़ विकास योजनान्तर्गत 20 बकरी + 01 बकरा, 40 बकरी + 02 बकरा एवं 100 बकरी + 05 बकरा क्षमता के बकरी फार्म के लिए चयनित लाभुकों का अविलंब एकरारनामा संपादित कर निर्माण कार्य शूरू कराने का निदेश दिया गया। साथ ही लाभुकों को एकरारनामा संपादन की तिथि से 60 दिनों के अन्दर निर्माण कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित किये जाने का निदेश दिया जाय।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 में स्वीकृत सभी बकरी फार्मों की स्थापना (20+1, 40+2 एवं 100+5) पर अनुदान भुगतान की प्रक्रिया में त्वरित गति से कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
- वित्तीय वर्ष 2023–24 की बकरी वितरण योजना में जिन जिलों द्वारा चयनित लाभुकों में से कुछ लाभुकों को बकरी वितरण किया जा चुका है अथवा बकरी वितरण हेतु आपूर्त्तिकर्त्ता से सम्पर्क स्थाापित किया जा रहा है। संबंधित सभी जिलों को 15 दिनों के अन्दर चयनित सभी लाभुकों को बकरी वितरण करने एवं आपूर्त्ति के उपरान्त आपूर्त्तिकर्त्ता को राशि भुगतान करने का निदेश दिया गया, अन्यथा नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी।

(12) <u>समेकित सूकर विकास योजना –</u>

वित्तीय वर्ष 2024–25 में सूकर विकास योजना के तहत आवेदकों के चयन हेतु सभी जिलों में आवेदन प्राप्त कर लिया गया है। सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को आवेदकों द्वारा आवेदन के साथ समर्पित कागजातों की जाँच कर चयन करने का निदेश दिया गया है।

प्रभारी पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में सूकर विकास योजना के तहत आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म की चयन की अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।

नियमानुकूल आपूर्त्तिकर्त्ता फर्म का चयन कर अविलंब अग्रेतर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(13) <u>भारत पशुधन पोर्टल से संबंधित –</u>

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार एवं भारत पशुधन पोर्टल नोडल पदाधिकारियों को सूचित किया गया कि भारत सरकार द्वारा पूर्व के वर्षों में किये गये टीकाकरण कार्य का डेटा को पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अंतिम तिथि **28.02.2025** तक बढ़ाया गया है।

अतः सभी को इस संबंध में निदेशत किया गया है कि पूर्व के टीकाकरण कार्यक्रमों (यथा FMD Round-3, PPR- EP, B-CP) को अचूक रूप से दिनांक– 28.02.2025 तक भारत पशुधन पोर्टल पर प्रविष्टि पूर्ण कर लें। पोर्टल पर डाटा प्रविष्टि के अनुरूप ही भुगतान करना सुनिश्चित किया जाय।

(14) स्थापना संबंधी मामलों की समीक्षा –

(1) सेवान्त लाभ पेन्शन, सेवान्त लाभ नयी पेन्शन प्रणाली से संबंधित प्रतिमाह वित्त विभाग के स्तर पर आयोजित होने वाली बैठक से संबंधित प्रतिवेदन वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्धारित परिपत्र I से V तक में ही प्रतिवेदित किया जाय। प्रत्येक माह के 07 तारीख तक क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन एवं जिला पशुपालन पदाधिकारी अपने स्तर से समीक्षोपरान्त वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रतिवेदन में मात्र लंबित मामलों का जिक्र किया जाय। सम्पादित मामलो का समावेश प्रतिवेदन में नहीं किया जाय।

(2) जिला पशुपालन कार्यालय, पूर्णियाँ/भागलपुर/सुपौल/मधेपुरा/दरभंगा द्वारा कई अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि हेतु प्रस्ताव अप्राप्त है। जिसके कारण नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि नहीं दी जा सकी है, वैसे सभी मामलों में पशुपालन निदेशालय के आदेश ज्ञापांक– 4283 (नि0) दिनांक– 19.12.2022 के द्वारा दिये गये आदेश का पूर्ण अनुपालन करते हुए वांछित अभिलेख के साथ नियुक्ति पत्र की सम्पुष्टि हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/–

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक –12 नि०/प०ग० (बैठक) 02/2018 (खण्ड) 880 (नि) **पटना–15, दिनांक** 03/03/ **2025**

प्रतिलिपिः– संयुक्त निदेशक (प0स्वा0)/ संयुक्त निदेशक (मु0), पशुपालन, निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना/सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार/परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए०, पटना/सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार/ चारा विकास पदाधिकारी, पटना/सहायक निदेशक, पशुपालन, (सूचना एवं प्रसार), बिहार, पटना/गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पशुपालन निदेशालय के सभी प्रभारी पदाधिकारी/वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई०मेल करने एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

03/03/2025

अपर निदेशक (पशु उत्पाद)।